(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1602–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2016 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला बड़वानी अपील प्रकरण कमांक 02/अ–23/2012–13.

शांतिलाल पिता हीरालाल महाजन
निवासी राजपुर
तहसील राजपुर जिला बड़वानी .....आवेदक

विरूद्ध

1– काशीराम पिता कालू
निवासी ग्राम सालखेड़ा
तहसील राजपुर जिला बड़वानी
2– गंदीबाई पिता कालू (पति भोल्या)
निवासी ग्राम इंद्रपुर
तहसील राजपुर जिला बड़वानी .....अनावेदकगण

श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.सी. पाल, अभिभाषक अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला बड़वानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सालखेड़ा स्थित खसरा कमांक 88 रकबा 25.51 एकड़ भूमि आदिवासी खातेदार भोल्या भीलाला से गैर आदिवासी आवेदक शांतिलाल के नाम अंतरण होने से तहसीलदार, राजपुर द्वारा दिनांक 9;7–10 को रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी, बड़वानी को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–23/2009–10 दर्ज कर दिनांक 29–9–2012 को यह आदेश पारित किया गया कि आदेश दिनांक 12–04–83 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर गैर आदिवासी अथवा मौके पर जो

भी काबिज हो, के स्थान पर मूल आदिवासी भोल्या के विधिक वारिस काशीराम पिता कालू वगैरह को कब्जा दिलाते हुए राजस्व अभिलेखों में गैर आदिवासी के स्थान पर मूल आदिवासी दर्ज किया जाकर पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध दिनांक 16–5–2013 को विलम्ब से अपील कलेक्टर, बड़वानी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30–3–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 170 (क) (ख) के प्रावधानों को समझे बगैर आदेश पारित करने में भूल की गई है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज किया गया है कि आवेदक के पूर्व हितधारी को अनावेदकगण के पूर्व हितधारी कालू द्वारा वर्ष 1929 में बड़वानी स्टेट के समय विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीबद्ध किया गया था, जिसके आधार पर प्रश्नाधीन आवेदक के पूर्व हितधारी के नाम पर दर्ज रही है और उक्त भूमि का आधिपत्य माननीय उच्च न्यायालय के दीवानी अपील प्रकरण क्रमांक 116/60 में दिये गये जयपत्रों की बजावरी दिनांक 14–4–62 को दिलाया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12–4–83 को अपर कलेक्टर द्वारा अपील में दिनांक 31–5–88 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया था, अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पूर्व में पारित आदेश को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैध, अकृत एवं शून्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी पहलू को नजर अंदाज किया गया है कि संहिता की धारा 170 (ख) के अन्तर्गत आदिवासी की भूमियों के केवल उन्हीं अंतरणों की जांच की जा सकती है, जिसमें अंतरण संहिता के लागू होने के दिनांक 2–10–59 के पश्चात तथा संशोधन दिनांक 24–10–80 के मध्य किये गये हों, जबकि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय वर्ष 1929 में हुआ है । ऐसी स्थिति में आवेदक को संहिता की धारा 170 (ख) के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है तथा पश्चात में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं, वह पूर्व के अन्तर्गत वैधता के सम्बन्ध में हैं, अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर वर्ष 1962 में आवेदक द्वारा आदिवासी की भूमि पर कब्जा किया गया है । अन्त

में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा अपील को समयावधि में मान्य कर ग्राह्य किया गया है, किन्तु अपील को निराधार मानकर निरस्त करने में गम्भीर भूल की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि पर कभी भी गैर आदिवासी का कब्जा नहीं रहा है, उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग अनावेदकगण द्वारा ही किया जा रहा है और प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा प्रकरण कमांक 178/अ–27/14–15 में पारित आदेश दिनांक 25–2–16 से हो चुका है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि गैर आदिवासी को विक्रय नहीं की गई थी, आवेदक द्वारा असत्य दस्तावेज बनाकर प्रस्तुत किया गया, इस तथ्य की पुष्टि पटवारी प्रतिवेदन से होती है ।

(3) आवेदक द्वारा छल–कपट कर अनावेदकगण की भूमि का अन्तरण किया गया था, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिवत आदेश पारित किया गया है ।

(4) आवेदक को बटवारा आदेश की जानकारी है, जिसके विरूद्ध उसके द्वारा कोई अपील या आपत्ति किसी भी राजस्व न्यायालय में नहीं की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1990 आर.एन. 1993, 1990 आर.एन. 218, 1990 आर.एन. 287 एवं 1990 आर.एन. 300 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी मूलतः अपर कलेक्टर के प्रकरण कमांक 58/अ–23/1987–88 में पारित आदेश दिनांक 31–5–88 के आधार पर प्रस्तुत की गई है, लेकिन आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण कमांक 04/अ–23/2009–10 में अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 31–5–88 की जानकारी तत्समय प्रस्तुत नहीं करना संदेहास्पद है । अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक आदिवासी पक्ष ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि पर अपना कब्जा होने का भी उल्लेख किया है । स्पष्ट है कि इस प्रकरण में दिनांक 31–5–88 को अपर कलेटर द्वारा आदेश पारित करने के बाद भी अनुविभागीय अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो के परिप्रेक्ष्य में तथा कब्जे के सम्बन्ध में विरोधाभासी Claims को देखते हुए तथ्यों की विस्तृत जांच आवश्यक है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह पुनः संहिता की धारा 170

(ख) के संदर्भ में अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 31–5–88 को पुनर्विलोकन में लेते हुए उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर एवं आवश्यक जांच उपरांत विधिसंगत आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला बड़वानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर